(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO.TCP-A(3)-1/2016-I DATED 03-07-2018 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

## GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

No. TCP- A(3)-1/2016-1

Dated Shimla-2,

03-07-2018

#### **NOTIFICATION**

Whereas, the draft Himachal Pradesh Town and Country Planning (Third Amendment) Rules, 2018 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, vide this Department's Notification of even number dated 25.04.2018 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person likely to be affected thereby, as required under sub-section (I) of section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977);

And whereas, no objection(s) and suggestion(s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 notified vide this Department Notification No. TCP-A(3)-1/2014-I dated 1.12.2014 published in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh on 1.12.2014, namely:-

Short title.

1. These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Third Amendment) Rules, 2018.

Substitution of rule 16

- 2. For rule 16 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014 (hereinafter referred to as the 'said rules'), the following rule shall be substituted, namely:-
  - "(1) Any person, intending to carry out development of any land under sub-section (2) of section 15-A or clause (a) of section 16 or sub-section (1) of section 30 or section 30-A (beyond the limits as specified under section 30-A) or section 78p of the Act may apply for such development in Form-11 for sub-division of land and Form-12 for construction of building alongwith the Specification and Schedule of area attached with the application form either personally or online

(2) Every application submitted under sub-section (2) of section 15-A or clause (a) of section 16 or sub-section (1) of section 30 or section 30-A (beyond the limits as specified under section 30-A) or section 78 p of the Act shall be accompanied by fee

as specified below:-

~	as specified below	TT .				
Sr.	Component	Unit	Municipal Limits		Outside Municipal	
No.		Per Square			Limits i.e. Rural Area	
		Metre of	Residential	Other than	Residential	Other than
		built up	Use	Residential	Use	Residential
		area		Use		Use
			₹	₹	₹	₹
1	Fee for building	$M^2$	8.00	10.00	5.00	8.00
	permission /					
	sanction /revision					
	of building plan					
2	Fee for addition/	$M^2$	8.00	10.00	5.00	8.00
	alteration/re-					
	validation					
3	Fee for approval of	$\mathbf{M}^2$	2.50		1.00	
	Sub-division of land					
4	Fee for Change of	$M^2$	16.00	20.00	10.00	16.00
	Land Use from the					
	use as prescribed					
	in the Interim					
	Development Plan/					
	Development Plan					
	to propose land use					

- Note:- (i) The Urban Local Bodies and Special Area Development Authorities shall have the liberty to levy amended unitary fee under above components.
  - (ii) No fee shall be charged from the Below Poverty Line (BPL) families, Economically Weaker Sections (EWS) of the society and from the applicants of Social Housing Schemes notified by the Government from time to time upto 100 M<sup>2</sup> plot area. This benefit may be availed by a family only once. However, if the plot area is above 100M<sup>2</sup>, the fee shall be charged on the additional area".

By Order,

(Prabodh Saxena)
Principal Secretary (TCP) to the
Govt. of Himachal Pradesh

#### हिमाचल प्रदेश सरकार

## नगर एवं ग्राम योजना विभाग

संख्याःटीसीपी-ए(3) -1/2016-1 तारीख शिमला-2,

03-07-2018

# अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (तृतीय संशोधन) नियम, 2018 के प्रारूप को, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, तद्द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) को आमंत्रित करने के लिए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 25.04.2018 द्वारा राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त्त राज्य सरकार को नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है / हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी.सी.पी.ए (3)—1/2014—1 तारीख 1 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई—गजट),हिमाचल प्रदेश में तारीख 1 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थातः—

संक्षिप्त 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (तृतीय संशोधन) नियम, 2018 है। नाम।
नियम 16 2. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया का है) के नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

" (1) अधिनियम की धारा 15—क की उपधारा (2) या धारा 16 के खण्ड (क) या धारा 30 की उपधारा (1) धारा 30—क या (धारा 30—क के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक) या धारा 78 त के अधीन किसी भूमि के विकास को कार्यान्वित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसे विकास हेतु आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न विनिर्देश और क्षेत्र की अनुसूची के साथ प्ररूप—11 में भूमि के उप—खण्ड (सब डिविजन) हेतु और प्ररूप 12 में भवन के सन्निर्माण हेतु या तो व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 15 क की उपधारा (2) या धारा 16 के खण्ड (क) या धारा 30 की उपधारा (1) या धारा 30 क (धारा 30 क के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक) या धारा 78 त के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन के साथ निम्न यथाविनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी:—

क्र0स0	संघटक	निर्मित क्षेत्र के प्रति वर्ग—मीटर की इकाई	नगरपालिका सीमाओं में		नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से बाहर अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र	
			आवासीय उपयोग	आवासीय उपयोग से भिन्न	आवासीय उपयोग	आवासीय उपयोग से भिन्न
			₹	₹	₹	₹
1.	भवन निर्माण योजना की अनुज्ञा / मंजूरी / संशोधन के लिए फीस	वर्गमीटर	8.00	10.00	5.00	8.00
2.	परिवर्धन / परिवर्तन / पुनर्विधिमान्यता के लिए फीस	वर्गमीटर	8.00	10.00	5.00	8.00
3.	भूमि के उप—खण्ड (सब डिविजन) के अनुमोदन के लिए फीस	वर्गमीटर	2.50		1.00	
4.	अन्तरिम विकास योजना / विकास योजना में यथा विहित उपयोग से प्रस्तावित भूमि उपयोग में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए फीस	वर्गमीटर	16.00	20.00	10.00	16.00

टिप्पणः—(i) शहरी स्थानीय निकायों और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को उपरोक्त संघटकों के अधीन संशोधित एकात्मक फीस उद्ग्रहण करने की स्वतंत्रता होगी।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे (बी०पी०एल०) के परिवारों, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और समय—समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित सामाजिक आवास स्कीमों के 100 वर्गमीटर तक के प्लॉट क्षेत्र के आवेदकों से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी। यह प्रसुविधा किसी परिवार द्वारा केवल एक बार ही प्राप्त की जा सकेगी। तथापि, यदि प्लॉट क्षेत्र 100 वर्गमीटर से अधिक का है तो अतिरिक्त क्षेत्र पर फीस प्रभारित की जाएगी।"!

आदेश द्वारा,

(प्रबोध सक्सेना) प्रधान सचिव (टी०सी०पी०) हिमाचल प्रदेश सरकार